FTS-97/2017

राजकीय प्रयोजनार्थ

न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(परशुराम धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02 / 2017
प्रविष्टि दिनांक 12.10.2017

सरकार जरिए तहसीलदार देवली जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

1.दशरथ पिता रतनलाल नाई नि. नासिरदा
2.कालू पिता रतनलाल नाई नि. नासिरदा

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1. राजकीय पेरोकार श्री रामप्रसाद कुमावत व श्री मजहर आलम एड0
2. श्री ओमप्रकाश राजोरा अभि. अप्रार्थीगण ।

अभिशंषा दिनांक 27–9–2022

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार दवली द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार हैं कि सेटलमेन्ट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2028–31 अनुसार खसरा नम्बर 388 / 1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा किस्म जलोद भूमि(सरकारी) दर्ज थी। सेटलमेन्ट के बाद का खसरा नम्बर 388 का नवीन खसरा नम्बर 3874 रकबा 1.94 है0 बनाये गये। सेटलमेन्ट बाद का खसरा नम्बर 3874 रकबा 1.94 हैक्टर साबिक खसरा नम्बर 388 व 389 से मिलकर बना हैं। दौराने सेटलमेन्ट ए.आर.ओ. टोंक ने मिसल नम्बर 184 / 89 कायम कर निर्णय दिनांक 23.06.1989 से रकबा कमी पूर्ति किये जाने के आदेश दिये। ए.आर.ओ. टोंक के मि.नं. 184 / 89 निर्णय दिनांक23.06.1989 से सेटलमेन्ट बाद नवीन रिकार्ड में रतनलाल पिता हाथी नाई के नाम खसरा नं. 3874 रकबा 1. 94 है0 दर्ज कर दिया गया। ए.आर.ओ. का उक्त आदेश अवैधानिक एवं खारिज करने योग्य हैं। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक खसरा नं. 388 / 1 का रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि गैर मु. नाडी सिवायचक होने से रतनलाल के नाम दर्ज नहीं की जा सकती। गैर मुमकिन नाडी धारा–16 काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित भूमि हैं जो किसी को आवंटन नहीं की जा सकती न ही इस भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकरी दिये जा सकते हैं। सेटलमेन्ट विभाग ने उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन कर बारानी प्रथम करते हुए रतनलाल को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जबकि खसरा नं. 3874 रकबा 1.94 है. भूमि मौके पर वर्तमान में भी नाडी हैं। यह भूमि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536 / 2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 02.08.2004 में वर्णित भूमि से प्रभावित भूमि है। तहसीलदार देवली द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि खसरा नं. 3874 / 1.94 है0 में शमिल साबिक खसरा नं. 388 का रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा

सत्य प्रतिलिपि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय अति... कलेक्टर टोंक राज0

अर्थात् 0.84 है. को सेटलमेन्ट पूर्व की स्थिति अनुसार सिवायचक गैर मुमकिन नाडी (जलोद भूमि) दर्ज थी। अतः ग्राम नासिरदा के नवीन खसरा नम्बर 4069 रकबा 1.94 है. (नवीन राजस्व ग्राम गोपालपुरा बनने से ग्राम नासिरदा के ख. नं. 3874 के नवीन नम्बर 4069 बने हैं) में से 0.84 है. रकबे को सेटलमेन्ट पूर्व की रिकॉर्ड अनुसार गैर मुमकिन नाडी सिवायचक (जलोद भूमि) दर्ज करने हेतु प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 01.12.2017 को श्री ओमप्रकाश राजोरा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा परन्तु इसके बाद न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए ओर न ही अप्रार्थीगण उपस्थित है। अतः प्रकरण में राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि सेटलमेन्ट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2028—31 अनुसार खसरा नम्बर 388/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा किस्म जलोद भूमि(सरकारी) दर्ज थी। सेटलमेन्ट के बाद का खसरा नम्बर 388 का नवीन खसरा नम्बर 3874 रकबा 1.94 है0 बनाये गये। सेटलमेन्ट बाद का खसरा नम्बर 3874 रकबा 1.94 हैक्टर साबिक खसरा नम्बर 388 व 389 से मिलकर बना हैं। दौराने सेटलमेन्ट ए.आर.ओ. टोंक ने मिसल नम्बर 184/89 कायम कर निर्णय दिनांक 23.06.1989 से रकबा कमी पूर्ति किये जाने के आदेश दिये। ए.आर.ओ. टोंक के मि.नं. 184/89 निर्णय दिनांक 23.06.1989 से सेटलमेन्ट बाद नवीन रिकार्ड में रतनलाल पिता हाथी नाई के नाम खसरा नं. 3874 रकबा 1.94 है0 दर्ज कर दिया गया। ए.आर.ओ. का उक्त आदेश अवैधानिक एवं खारिज करने योग्य हैं। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक खसरा नं. 388/1 का रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि गैर मु. नाडी सिवायचक होने से रतनलाल के नाम दर्ज नहीं की जा सकती। गैर मुमकिन नाडी धारा—16 काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित भूमि हैं जो किसी को आवंटन नहीं की जा सकती न ही इस भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकरी दिये जा सकते हैं। सेटलमेन्ट विभाग ने उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन कर बारानी प्रथम करते हुए रतनलाल को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जबकि खसरा नं. 3874 रकबा 1.94 है. भूमि मौके पर वर्तमान में भी नाडी हैं। यह भूमि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 02.08.2004 में वर्णित भूमि से प्रभावित भूमि है। सेटलमेन्ट पूर्व की स्थिति अनुसार सिवायचक गैर मुमकिन नाडी (जलोद भूमि) दर्ज थी। अतः ग्राम नासिरदा के नवीन खसरा नम्बर 4069 रकबा 1.94 है. (नवीन राजस्व ग्राम गोपालपुरा बनने से ग्राम नासिरदा के ख. नं. 3874 के नवीन नम्बर 4069 बने हैं) में से 0.84 है. रकबे को सेटलमेन्ट पूर्व की रिकॉर्ड अनुसार गैर मुमकिन नाडी सिवायचक (जलोद भूमि) दर्ज करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अभिशंषा की जावें।

हमने राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी एंव बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों नकल जमाबन्दी सम्वत 2028—31, जमाबन्दी सम्वत 2036—39, ए.आर.ओ. टोंक की मिसल नम्बर 184/89,जमाबन्दी सम्वत 2036—39,नक्शा प्रति, पर्चा लगान भू प्रबन्ध विभाग, नकल खतोनी खसरा,नकल जमाबन्दी सम्वत 2046—65, नकल मिलान क्षेत्रफल जमाबन्दी सम्वत 2069—72, के आधार पर, नकल मिलान क्षेत्रफल, रिपोर्ट पटवारी व आई0एल0आर0 बाबत रेफरेन्स, नकल जमाबन्दी सम्वत 2069—72, नकल नक्शा ट्रेस दिनांक 7—4—2017,नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2072 का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

सत्य प्रतिलिपि
आज्ञा से

न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

बाधारक्षत जिला कलेक्टर
टोंक

अवलोकन से जाहिर है कि सेटलमेन्ट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2028–31 अनुसार खसरा नम्बर 388/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा किस्म जलोद भूमि(सरकारी) दर्ज थी। सेटलमेन्ट के बाद का खसरा नम्बर 388 का नवीन खसरा नम्बर 3874 रकबा 1.94 है0 बनाये गये। सेटलमेन्ट बाद का खसरा नम्बर 3874 रकबा 1.94 हैक्टर साबिक खसरा नम्बर 388 व 389 से मिलकर बना हैं। दौराने सेटलमेन्ट ए.आर.ओ. टोंक ने मिसल नम्बर 184/89 कायम कर निर्णय दिनांक 23.06.1989 से रकबा कमी पूर्ति किये जाने के आदेश दिये। ए.आर.ओ. टोंक के मि.नं. 184/89 निर्णय दिनांक23.06.1989 से सेटलमेन्ट बाद नवीन रिकार्ड में रतनलाल पिता हाथी नाई के नाम खसरा नं. 3874 रकबा 1.94 है0 दर्ज कर दिया गया। ए.आर.ओ. का उक्त आदेश अवैधानिक एवं खारिज करने योग्य हैं।

जबकि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक खसरा नं. 388/1 का रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि गैर मु. नाडी सिवायचक होने से रतनलाल के नाम दर्ज नहीं की जा सकती। गैर मुमकिन नाडी धारा--16 काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित भूमि हैं जो किसी को आवंटन नहीं की जा सकती न ही इस भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकरी दिये जा सकते हैं। सेटलमेन्ट विभाग ने उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन कर बारानी प्रथम करते हुए रतनलाल को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जबकि खसरा नं. 3874 रकबा 1.94 है. भूमि मौके पर वर्तमान में भी नाडी हैं। यह भूमि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 02.08.2004 में वर्णित भूमि से प्रभावित भूमि है। अतः ग्राम नासिरदा के नवीन खसरा नम्बर 4069 रकबा 1.94 है. (नवीन राजस्व ग्राम गोपालपुरा बनने से ग्राम नासिरदा के ख. नं. 3874 के नवीन नम्बर 4069 बने हैं) में से 0.84 है. रकबे को सेटलमेन्ट पूर्व की रिकॉर्ड अनुसार गैर मुमकिन नाडी सिवायचक (जलोद भूमि) दर्ज करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अभिशंषा किया जाना उचित प्रतीत होता है

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि अतः ग्राम नासिरदा के सेटलमेन्ट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2028–31 अनुसार खसरा नम्बर 388/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा किस्म जलोद भूमि(सरकारी) दर्ज थी। सेटलमेन्ट के बाद का खसरा नम्बर 388 का नवीन खसरा नम्बर 4069 रकबा 1.94 है. (नवीन राजस्व ग्राम गोपालपुरा बनने से ग्राम नासिरदा के ख. नं. 3874 के नवीन नम्बर 4069 बने हैं) में से 0.84 है. रकबे को सेटलमेन्ट पूर्व की रिकॉर्ड अनुसार गैर मुमकिन नाडी सिवायचक (जलोद भूमि) दर्ज करने हेतु सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 27–9–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

सत्य प्रतिलिपि

(परशुराम धानका)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)